न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 152/2023

अनवान : –

1. जगदीश पुत्र करताराराम जाति बाजीगर निवासी परलीका तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. जीतोदेवी पत्नी गुलजार जाति बाजीगर निवासी रामसरा तहसील नोहर।
2. जगसीर सिंह पुत्र पूर्ण सिंह जाति बाजीगर निवासी जंडावाली तहसील व जिला हनुमानगढ।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
4. उप पंजीयक नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता **वादीगण**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक: 25/04/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा 3 आरएमएस तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2071–2074 के खाता संख्या 120/21 के कुल खसरे 4 का कुल क्षेत्रफल 0.6325 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 2 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है तथा खाता संख्या 21/17 के कुल खसरे 2 का कुल क्षेत्रफल 0.4301 है0 भूमि प्रतिवादीया संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

रोही मौजा 3 आरएमएस तहसील नोहर के खाता संख्या 21/17 के कुल खसरे 2 का कुल क्षेत्रफल 1.0626 है0 भूमि में से प0 नं0 353/412 (15) के किला नं. 12 के पूर्व दिशा की 0.2024 है0 भूमि व किला नं. 13 की 0.253 है0 भूमि कुल 0.4554 है0 भूमि वादी की प्रतिवादीया संख्या 1 से जरिये बैयनामा दिनांक 11.11.2022 से खरीदशुदा है। रोही मौजा 3 आरएमएस तहसील नोहर के खाता संख्या 21/17 के प0 नं0 353/412 (15) के किला नं. 11 की 0.253 है0 भूमि व 13 के पूर्व दिशा की 0.0754 है0 भूमि किला नं. 14 की 0.2277 है0, 15 की 0.0759 है0 यानी कुल 0.6325 है0 भूमि को प्रतिवादीया संख्या 1 ने विधि विरूद्ध तरीके से प्रतिवादी संख्या 2 के नाम दर्ज करवा दी जो कि गलत दर्ज हुई है तथा किला नं. 13 की 0.253 है0 सम्पूर्ण भूमि वादी ने खरीद की थी तथा वादी जब बैयनामा का नामान्तरण दर्ज करवाने पहूँचा तो पता चला कि वह भूमि किसी अन्य व्यक्ति यानी प्रतिवादी संख्या 2 के नाम दर्ज हो चुकी है तथा उक्त विवादित भूमि दिनांक 11.11.[illegible] आज तक वादी के कब्जा काश्त में चली आ रही है। वादी अपनी खरीदशुदा भूमि [illegible] राजस्व रिकार्ड में अपने नाम दर्ज करवा पाने का अधिकारी है यही विनाय दावा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.05.01 19:48:21 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

वादग्रस्त भूमि का वादी मुताबिक बैयनामा दिनांक 11.11.2022 से रिकार्डेड खातेदार काश्तकार हो चुका है लेकिन प्रतिवादी संख्या 2 विधि विरूद्ध तरीके से अपने नाम दर्ज भूमि को बेचान करने की फिराक में है तथा भूमि को बेचान करने के लिए सरेआम धमकी दे रहा है। यदि प्रतिवादी संख्या 2 अपनी योजना में कामयाब हो जाता है तो वादी को अपूर्णिय क्षति होगी तथा मुकदमा बाजी बढ़ेगी इसलिए वादी प्रतिवादीया संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 2 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद करवा पाने का अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि मुताबिक बैयनामा वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 ने राजीनामा इस आशय का पेश किया की रोही मौजा 3 आरएमएस तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2071—74 के खाता संख्या 120/21 की कुल 0.6325 हैक्ट भूमि जगसीर सिंह के नाम दर्ज है तथा 3 आरएमएस के खाता संख्या 21/17 की कुल 0.4301 हैक्ट भूमि जीतो देवी के नाम दर्ज है उक्त वाद भूमि पक्षकारान का राजीनामा हो चुका है मुताबिक राजीनामा रोही मौजा 3 आरएमएस तहसील नोहर के खाता संख्या 21/17 की कुल 0.4301 हैक्ट भूमि में जीतो देवी पत्नी गुलजार का नाम कलमजन किया जाकर जगदीश के नाम दर्ज की जावे तथा रोही मौजा 3 आरएमएस तहसील नोहर के खाता स0 120/21 के प0न0 353/412 (15) के किला न0 13/2 के मिन पश्चिम की 0.025 हैक्ट भूमि जो जगसीर के नाम दर्ज है की बजाय जगदीश को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे एवं शेष भूमि जगसीर के नाम यथावत रखी जावे। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के लिए दोनो पक्षकार एवं उनके वारिसान भी सहमत है किसी को कोई ऐतराज नही है। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नवीनतम जमाबंदी, चित्रप्रति बैयनामा दिनांक 11.11.2022, आदि दस्तावेज पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

प्रकरण में पक्षकारान का राजीनामा प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी की प्रतिवादी संख्या 1 से जरिये बैयनामा खरीद की है लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 ने उक्त वाद भूमि का प्रतिवादी संख्या 2 को भी बेचान कर दिया है वाद भूमि बाबत पक्षकारान का राजीनामा हो चुका है मुताबिक राजीनामा वाद डिक्री किया जाता है तो वादी एवं प्रतिवादीगण सहमत है अर्थात वादी के वाद को डिक्री करने में कोई एतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.05.01 19:48:21 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार उक्त वाद भूमि प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 के नाम दर्ज रिकार्ड है, वादी का कथन है कि रोही मौजा 3 आरएमएस तहसील नोहर के खाता संख्या 21/17 के कुल खसरे 2 का कुल क्षेत्रफल 1.0626 है0 भूमि में से प0 नं0 353/412 (15) के किला नं. 12 के पूर्व दिशा की 0.2024 है0 भूमि व किला नं. 13 की 0.253 है0 भूमि कुल 0.4554 है0 भूमि वादी की प्रतिवादीया संख्या 1 से जरिये बैयनामा दिनांक 11.11.2022 से खरीदशुदा है। लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 ने उक्त वाद भूमि का प्रतिवादी संख्या 2 को भी बैचान कर दिया है तथा वाद भूमि वादी के नाम दर्ज न होकर प्रतिवादी संख्या 2 के नाम दर्ज हो गयी है। वादी मुताबिक बैयनामा वाद भूमि अपने नाम दर्ज करवाना चाहता है। पक्षकारान द्वारा राजीनामा पेश किया गया है कि मुताबिक राजीनामा वाद वादी डिक्री किया जाता है तो हम पक्षकारान को कोई ऐतराज नही है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं पक्षकारान के राजीनामा के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 3 आरएमएस तहसील नोहर के खाता संख्या 21/17 की कुल 0.4301 हैक्ट भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 जीतो देवी पत्नी गुलजार का नाम कलमजन किया जाकर वादी जगदीश को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा रोही मौजा 3 आरएमएस तहसील नोहर के खाता स0 120/21 के प0न0 353/412 (15) के किला न0 13/2 के मिन पश्चिम की 0.025 हैक्ट भूमि जो जगसीर के नाम दर्ज है में प्रतिवादी संख्या 2 जगसीर की बजाय वादी जगदीश को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं शेष भूमि प्रतिवादी संख्या 2 जगसीर के नाम यथावत रहेगी। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 25/4/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.05.01 19:48:21 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 152/2023
अनवान : –

1. जगदीश पुत्र करताराराम जाति बाजीगर निवासी परलीका तहसील नोहर।

– **वादी**

बनाम्

1. जीतोदेवी पत्नी गुलजार जाति बाजीगर निवासी रामसरा तहसील नोहर।
2. जगसीर सिंह पुत्र पूर्ण सिंह जाति बाजीगर निवासी जंडावाली तहसील व जिला हनुमानगढ।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
4. उप पंजीयक नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 152 सन 2023 निर्णय दिनांक-25/04/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री रविन्द्र गोदारा एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 3 आरएमएस तहसील नोहर के खाता संख्या 21/17 की कुल 0.4301 हैक्ट भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 जीतो देवी पत्नी गुलजार का नाम कलमजन किया जाकर वादी जगदीश को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा रोही मौजा 3 आरएमएस तहसील नोहर के खाता स0 120/21 के प0न0 353/412 (15) के किला न0 13/2 के मिन पश्चिम की 0.025 हैक्ट भूमि जो जगसीर के नाम दर्ज है में प्रतिवादी संख्या 2 जगसीर की बजाय वादी जगदीश को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं शेष भूमि प्रतिवादी संख्या 2 जगसीर के नाम यथावत रहेगी। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 25/4/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.05.01 19:48:21 IST
Reason: SelfAttested